छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 776/692/07/1/6: रायपुर, दिनांक 26 जुलाई, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

JUL 2007

विषयः—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जारी की गई अधिसूचना दिनाँक 12 अक्टूबर, 2006 के संबंध में ।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोजित संगोष्ठियों में राज्य शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि शुल्क संबंधी जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 2—10/2006/1—6 दिनाँक 12 अक्टूबर, 2006 की प्रति राज्य के निचले स्तर पर पदस्थ जनसूचना अधिकारियों तक नहीं पहुँच सकी है। इस कारण जनसूचना अधिकारियों द्वारा संकलित जानकारी के लिए प्रति पृष्ठ रू. 100/— की मांग की रही है, जो नियमानुसार उचित नहीं है। चूंकि शासन द्वारा अधिसूचना दिनाँक 09 मार्च, 2006 को निरस्त कर अधिसूचना दिनाँक 12 अक्टूबर, 2006 जारी की जा चुकी है, जिसमें यह शुल्क रू. दो प्रति पृष्ठ निर्धारित किया गया है ।

2. इसी प्रकार नगद शुल्क प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था भी कुछ विभागों /कार्यालयों द्वारा अभी तक नहीं की गई है ।

3. अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/ सार्वजनिक उपक्रम/जिला/विकासखण्ड/तहसील/पंचायत स्तर के कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों तक उक्त अधिसूचना दिनाँक 12 अक्टूबर 2006 की प्रति पहुँचाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही निर्धारित शुल्क नगद जमा करने के लिए समुचित रसीद प्रदान करने की व्यवस्था भी सभी कार्यालयों में सुनिश्चित की जाए।

य सूचना आयोग
......4766

(बी.आर.राव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

2.......

क्रमांक 777/692/07/1/6: रायपुर,दिनांक 26 जुलाई, 2007

प्रतिलिपिः—

1. अवर सचिव राज्यपाल,छ0ग0 रायपुर
2. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर,मंत्रालय,रायपुर
3. सचिव,राज्य सूचना आयोग,निर्मल छाया भवन,मीरादातार रोड, शंकरनगर,रायपुर
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय,बिलासपुर,(छ.ग)
5. संचालक,प्रशासन अकादमी,मंत्रालय परिसर,रायपुर

की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

25/7/07

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग